The Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 1 of 1972

Keyword(s):
Chairman, Committee Member, Co-operative Bank, Payment of Interest, State Government

Amendment appended: 26 of 1978

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A.15/72.1
Cop.3

135675

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 जनवरी, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को संशोधित करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 14 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द "और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिये जायं।

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में खंड (ख) में शब्द "पांच हजार रुपये से" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि से जो नियत की जाय" रख दिये जायं।

धारा 30 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 30 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

Price 010 Paise

(2) उपधारा (3)के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उप-सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाय ।"

धारा 34 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"34 (1) यदि राज्य सरकार ने:—

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो अथवा किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत न देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंश पूंजी पन्द्रह लाख रुपये से कम न हो, तो राज्य सरकार को कमेटी के सदस्यों में से प्रबन्ध कमेटी का सभापति नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि:—

(1) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश पच्चीस प्रतिशत से अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के, एक तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश बीस प्रतिशत से कम न हो जाय,

(2) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक किन्तु साठ प्रतिशत से कम हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी क सदस्यों की संख्या में से उतने सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, जो कुल संख्या के आधे से अधिक और यथासंभव उसके निकटस्थ हो, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश चालीस प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, यदि:—

(क) समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो अथवा समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जो धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गयी कुल धनराशि के योग से साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ग) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा दोनों द्वारा समिति के लिए व्यवस्थित चालू पूंजी समिति की कुल चालू पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायेगी) की धनराशि के साठ प्रतिशत से कम न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी समिति की दशा में, जो माल का निर्माण, संरक्षण, प्रक्रिया या वितरण अथवा खनन या विद्युत् का जनन या वितरण के लिये किसी उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से बनायी गयी हो, और जिसकी कुल चालू

पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायेगी) ऐसी धनराशि से कम न हो, जो नियत की जाय, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों में कम से कम दो सरकारी सेवक होंगे ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन एक बार प्रोद्भूत अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उक्त धारा के यथास्थिति, खंड(क), खंड (ख) या खंड (ग) में अभिदिष्ट धनराशि पचास प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(4) यदि राज्य सरकार को या राज्य सरकार के अनुमोदन से, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (च) में अभिदिष्ट किसी निगमित निकाय को समिति के साथ किसी अनुबन्ध के अधीन नाम-निर्देशन का अधिकार दिया जाय, तो ऐसे अधिकार की सीमा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार शासित होगी ।

(5) यदि राज्य सरकार इस धारा के अधीन नाम-निर्देशन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करे तो :—

(क) सभापति का नाम-निर्देशन करने की दशा में, तत्समय उक्त पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उस दिनांक को, जब राज्य सरकार नाम-निर्देशन करे, सभापति न रह जायगा ;

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने की दशा में, निबन्धक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कमेटी के उतने सदस्यों को निवृत्त करने के लिये जितने राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थान देने के निमित्त आवश्यक हो, पर्चियां, ऐसे दिनांक और समय तथा स्थान पर, जो निबन्धक द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय (जिस की सूचना कमेटी के सदस्यों को दी जावेगी) डाली जायेंगी, और जिन सदस्यों के नाम पर्चियां डाल कर निकाले जायें वे पर्चो निकाले जाने के दिनांक से कमेटी के सदस्य नहीं रह जायेंगे ।

(6) यदि राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय ने इस धारा के अधीन कोई नाम-निर्देशन किया हो तो समिति उस दिनांक से जब इस धारा के अधीन राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय का नाम-निर्देशन करने का अधिकार समाप्त हो जाय, नब्बे दिन के भीतर और नियत रीति से, नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर सदस्यों का निर्वाचन करेगी, और नाम-निर्दिष्ट सभापति के स्थान पर, यदि कोई हो, सभापति का निर्वाचन करेगी और तब नाम-निर्दिष्ट सदस्य तथा सभापति ऐसे निर्वाचन के दिनांक से अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ।

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी को जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(8) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति. यथास्थिति राज्य सरकार या उप-धारा (7) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायेगी ।

धारा 98 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 98 में, उप-धारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इंकार किया गया हो, अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो ;"

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 18, 1971 का निरसन ।

7—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 32 जनरल (लेग०)—1972—1,799+50 (मे०) ।

15/78
cap
15 9514
विधायी (अनुभाग) संसदीय प्रकाशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1978)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1, खण्ड (क) में दिनांक 18 सितम्बर, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 अगस्त, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 सितम्बर, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह 15 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त में आया समझा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, शब्द "अट्ठारह माह" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 13, सन् 1978

3--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा, उक्त अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्रशासक उक्त धारा की उपधारा (6) में, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन करने की व्यवस्था करने में विफल रहा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 24 अगस्त, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-3, खण्ड (क) देखिये।]

Price 10 Paisa

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 397 सा० (विधा०)--5-3-79--(3966)--1979--1824+50SS (मेक०)।